न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस. केम्प कोर्ट जवाहरपुरा

मुकदमा नंबर 276 /2021

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार पचपदरा

1. सरपंच ग्राम पंचायत नवोड़ाबेरा
2. रिमजेखा वल्द सुमरा
3. हाजीखां इस्माईलखा, कालूखां पि0 सुमरा वगैराह खाता संख्या 41
4. आरब वगैराह खाता संख्या 7 अनुसार
5. हनीफ वल्द गाजी वगैराह खाता संख्या 48
6. बरगत, मला वगैराह खाता संख्या 29

तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू–अभिलेख नियम 1970

आदेश दिनांक 16.11.2021

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, को रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है। ग्राम राजीव नगर एवं सारणों की ढाणी में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो राजीव नगर एवं सारणों की ढाणी से जोड़ने वाली सड़क कटान रास्ता तक वर्तमान में चल रहा है। ग्राम राजीव नगर एवं सारणों की ढाणी के खसरा नम्बर 1759 रकबा 337–06 बीघा में से 3–09 बीघा, खसरा नम्बर 1761 रकबा 70–08 बीघा में से 2–18 बीघा, खसरा नम्बर 1955/1748 रकबा 33–17 बीघा में से 0–09 बीघा, भूमि में उक्त रास्ता चल रहा है, जिसका नजरी नक्शा प्रस्तावित रास्ता बरंग लाल ::::: में किया गया है, ग्राम राजीव नगर एवं सारणों की ढाणी सरहद तक को जोड़ने वाली सड़क कटान रास्ता तक रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रशासन गांवों के संग अभियान कोर्ट केम्प ~~जवाहरपुरा~~ में वप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की और कुछ संबंधित खातेदार उपस्थित हुये किये ज[illegible] किये गये। और ग्राम राजीव नगर एवं सारणों की ढाणी में रास्ता कटान हेतु [illegible]पचपदरा ने उपस्थित होकर जाहिर किया गया कि संबंधित खातेदार [illegible] रास्ता तक रास्ता दर्ज करने से भूमि संबंधित खाता में खातेदार के नाम ही [illegible], इसमें किसी प्रकार की आमजन को असुविधा नहीं होगी, बल्कि रास्ता आमजन के लिए अधिक सुविधा जनक यह रास्ता होगा। चुंकि राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, को रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है, रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के नाम ही यथावत दर्ज रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:15:52 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं समूची स्थिति पर विवेचन किया गया उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है। रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित है। रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालत मे होने की ताईद की है व कोई आपति जाहिर नही की है। भूमी धारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई आधार पत्रावली पर नही है।

पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। बाद गौर तहसीलदार पचपदरा की ओर से ग्राम राजीव नगर एवं सारणों की ढाणी में रास्ता कटान हेतु के ग्रामों ढाणियों व मजरों के अवरूद्व रास्ते के लिए जोड़ने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/तरमीम नक्शा लट्ठा ट्रेस मे तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है।

प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर ग्राम राजीव नगर एवं सारणों की ढाणी में पडोस के ग्रामों ढाणियों व मजरों के अवरूद्व रास्ते को हाईवे से जोड़ने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है, जिसे ग्राम राजीव नगर एवं सारणों की ढाणी के खसरा नम्बर 1759 रकबा 337–06 बीघा में से 3–09 बीघा, खसरा नम्बर 1761 रकबा 70–08 बीघा में से 2–18 बीघा, खसरा नम्बर 1955/1748 रकबा 33–17 बीघा में से 0–09 बीघा, भूमि रास्ते हेतु प्रभावित प्रस्तावित नजरी नक्शा रास्ता बरंग लाल ::::: मुताबिक तरमीम एवं शेष रही भूमियों का विवरण तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है , उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खातेदारान के नाम खाते से ही दर्ज रहेगा। तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा ।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को केम्प कोर्ट जवाहरपुरा में मजमें आम में सुनाया गया।

(नरेश सोनी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:15:52 IST
Reason: SelfAttested